न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

अपील / 10 / 2024

1– फूलसिहं
2– रामदेव
} पुत्रान जयराम सिंह, जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

....**अपीलार्थी0**

बनाम

1. लौंगश्री पत्नी स्व0 श्री जयराम सिंह, उम्र 80 वर्ष जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. हुकम सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह, उम्र 80 वर्ष जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर

.....**रेस्पो0**

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 व खिलाफ निर्णय दिनांक 07.05.2024 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन पीठासीन अधिकारी, भरण पोषण नदबई।

उपस्थित :–
1–श्री राजेश कुमार सोगरवाल अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री प्रताप सिंह अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक 14.11.2025**

अपीलान्टान ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 07.05.2024 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.05.2024 में उपखण्ड अधिकारी नदबई ने प्रार्थना पत्र धारा 04 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट सं0 1, 2 व रेस्पोडेन्ट सं0 2 को 3000–3000/– रू. पृथक–पृथक रेस्पोडेन्ट सं0 1 लौंगश्री पत्नी स्व0 श्री जयराम सिंह उम्र 80 वर्ष जाति जाट निवासी बछामदी तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0) के निजी खर्चे हेतु जमा कराये जाने की आज्ञा दी गई है, साथ ही रेस्पोडेन्ट सं0 1 लौंगश्री पत्नी स्व0 श्री जयराम सिंह को परेशान नहीं करने सद्भावना पूर्ण व्यवहार करने एवं उनकी सेवा सुश्रुषा का ध्यान रखने के लिये पाबन्द किया गया है। उपखण्ड अधिकारी नदबई के उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. को नोटिस जारी किये गये। उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भरण पोषण अधिकरण, नदबई से तहत पत्रावली तलब की गई। एस.डी.ओ. नदबई के पत्र क्रमांक राजस्व/25/577 दिनांक 29.08.2025 से प्राप्त तहत पत्रावली को नत्थीबद्ध किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि तहत अदालत ने निर्णय पारित करते समय अपीलान्टान को जबाब एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाकर एकतरफा में निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र में रंग देने के उद्देश्य गलत एवं मनगढन्त तथ्य अंकित किये गये हैं। जो गलत है। अपीलार्थीगण ने पिता की मृत्यु के पूर्व एवं बाद से अभी तक अपनी मॉ की सेवा पूर्ण सेवा भाव से की है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि पिता के जीवनकाल में अपीलान्टान संयुक्त परिवार के रूप में रहे हैं। संयुक्त परिवार की आय से वर्ष 2009 में 29 एयर एवं 1999 में 19 एयर कृषि भूमि मॉ के नाम से खरीद की थी। जिसे रेस्पो0 सं0 1 लौंगश्री ने रेस्पोडेन्ट सं0 2 की पत्नी रेखा के हक में रजिस्टर्ड दानपत्र कर दिया है। इस दान पत्र में खसरा नं0 1053/0.15 व खसरा नं. 1554/0.14 किता 2 कुल रकवा 29 एयर वाके ग्राम बछामदी तहसील नदबई को रेस्पोडेन्ट सं0 1 ने रेस्पो. सं0 2 को दानपत्र कर दिया है जो गलत है। तहत न्यायालय द्वारा इस पर कोई गौर नहीं किया है। रेस्पो. सं0 1 के द्वारा खसरा नं0 1332 रकवा 0.75 है0 का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम बछामती तहसील नदबई को रेस्पो. सं0 2 की रेखा को दिनांक 02.02.2022को प्रतिफल राशि एक लाख अठानवे हजार रू. में बेचान कर दिया है। रेस्पो0 सं0 2 बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है तथा भाईयों के हक को मारने के उद्देश्य से रेस्पो. सं. 1 के वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठा रहा है। इसलिये भाईयों के हक को मारने और परेशान करने के उद्देश्य से रेस्पो0 सं0 1 के द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश करवा दिया है। वकील अपीलान्ट का यह भी कहना है कि तहत न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से जाहिर है कि आदेशिका दिनांक 9.3.2024 को अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3 को उपस्थित बतलाया है जबकि आदेशिका पर अप्रार्थी रामदेव अकेले के हस्ताक्षर हैं तथा अप्रार्थी0 को यदि उपस्थित मानते हैं तो जवाब हेतु कोई समय नहीं दिया है। साथ ही कथन किया कि आदेशिका दिनांक 28.03.2024 को पीओ साहब की दौरे पर पधारने बाबत मौहर लगी हुई है परन्तु आर्डरशीट पर दुबारा 28.03.2024 अंकित की जाकर उभय पक्षकारान को सुना जाना लिखा जाकर पत्रावली वास्ते आदेश 07.05.2025 डाली

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

गई है। इससे जाहिर है कि आलोच्य आदेश जल्दवाजी में व पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी दवाव में पारित किया गया है। जिसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने कथनों में बताया कि अपीलान्टान, के 3 पुत्र हैं और तीनों ही राजकीय सेवा में कार्यरत है। रेस्पो0 सं0 1 80 साल की वृद्ध महिला है। अपीलान्टान अपनी वृद्ध माता को अपने पास नहीं रखते हैं ना ही भरण–पोषण खान–पान, चिकित्सा वस्त्र आदि देते हैं। रेस्पो0 की पैत्रिक जमीन करीब 10 बीघा अपीलान्टान एवं रेस्पो. सं0 2 के कब्जे में हैं। वह ही इसे काश्त करते चले आ रहे हैं। रेस्पो0 सं0 1 के पास अपने खर्चे के लिए आय का कोई स्त्रोत नहीं है। रेस्पो0सं0 1 अपने पुत्र रेस्पो0 सं0 2 हुकम सिंह के साथ रहती है। रेस्पो0 सं0 1 के पैरालाईसिस बीमारी में भी इलाज का पूर्ण खर्चा करीब 250000/– रू. रेस्पो. सं0 2 द्वारा ही वहन किया गया है। उक्त इलाज के खर्चे में अपीलान्टान को हिस्सा देने के लिए कहा तो इलाज की राशि में हिस्सा देने से मना कर दिया। अपीलान्टान द्वारा इस वृद्धावस्था में भी अपनी वृद्ध माता को घर से बाहर निकाल दिया है। तथा गाली गलौच करते हैं। अपीलान्टान, रेस्पो0 सं0 1 को हजा खर्चा, भरण पोषण, बीमारी इलाज, हेतु किसी प्रकार की राशि भी अदा नहीं करते हैं ना ही रेस्पो. सं0 1 को अपने पास रखते हैं। रेस्पो. सं0 1, वर्तमान में रेस्पो. संख्या 2 साथ रहन खान पीन कर रही है। ऐसी स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण कल्याण अधिनियम के अन्तर्गत तहत अदालत उपखण्डाधिकारी नदबई द्वारा विधि अनुरूप नियमान्तर्गत सही निर्णय पारित किया गया हैं। अन्त में तहत न्यायालय के निर्णय को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावलियों का अध्ययन किया। योग्य अभिभाषक उभयपक्ष के कथनों पर गौर किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस अपील में जिन तथ्यों को उठाया है इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा तहत न्यायालय में अपना पक्ष विधिवत पेश किया गया है। अपीलान्ट का यह कहना कि दिनांक 9.3.2024 को केवल रामदेव ही उपस्थित था। जबकि आदेशिका में तीनों ही उपस्थित दिखाये गये हैं स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि तहत पत्रावली में पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलान्टान एवं रेस्पो0 समस्त के बयान लिये जाकर शामिल मिसिल किये हुये हैं इससे यह निर्विवाद है कि सभी पक्षकारान नियत दिनांक को उपस्थित हुये हैं। तहत न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचन करते हुये रेस्पो0 सं0 1 लौंगश्री पत्नी स्व0 श्री जयराम सिंह जो कि अपीलान्टान एवं रेस्पो. सं0 2 की मॉ है की वृद्धावस्था को

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

देखते हुये हारी–बीमारी एवं भरण–पोषण के लिये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधिवत है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पो0 सं0 एक अपीलान्टान एवं रेस्पो0 सं0 2 की 80 वर्षीय वृद्ध मॉ है बृद्धावस्था में अपने बृद्ध माता की सेवा करना उनकी बुढ़ापे में देखभाल करना उनके पुत्रों का कर्त्तव्य है। अतः तीनों पुत्रों का दायित्व है कि वे अपनी वृद्ध माता की सेवा सुश्रा (भरण पोषण) करें। अस्तु अपील अपीलान्टान खारिज किया जाना उचित पाते है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी नदबई को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने आदेश की पालना कठोरता से कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी नदबई को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर